ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 74

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 74 के द्वारा श्री नीरज शर्मा, विधायक फरीदाबाद एनसीआर सहित हरियाणा में बेमोसम बारिश से खराब हो रही फसल बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की और दिलाना चाहते है कि पिछले 3 दिनों से फरीदाबाद एनसीआर सहित पूरे हरियाणा में बेमोसम बारिश हो रही है जिसके चलते किसानों की गेहूं, सरसों एंव अन्य फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार इस सदन को बताएं कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के पास क्या योजना है। सदन में इस अति आवश्यक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की जाए।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 75

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 75 के द्वारा, श्री सत्य प्रकाश जरावता, विधायक खंड पटौदी एव फर्रूखनगर के किसानों की सरसों, गेहूं, जौं और चने इत्यादि फसलें खराब होने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की और दिलाना चाहते है कि किसान प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ की हडडी है। किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पिछले 2 दिनों से अचानक बारिश हो रही है जिससे किसान को बहुत भारी नुकसान झेलना पडा है और किसान की खडी फसल (सरसों, गेंहू, जौं और चने) ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई है। माननीय स्दस्य माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते है कि खंड पटौदी एंव फर्रूखनगर के किसानों की सरसों, गेहूं, जौं और चने इत्यादि फसलें खराब हो गई इसलिए विशेष गिरदावरी कराने के आदेश जारी करके इस महान सदन को अवगत करवाया जाये और उचित मुआजा दिया जाये।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 76

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 76 के द्वारा, श्री चिंरजीव राव, विधायक, रेवाडी, एनसीआर सहित हरियाणा में बेमोसम बारिश से खराब हो रही फसल बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि पिछले 4 दिनों से रेवाडी एनसीआर सहित पूरे हरियाणा में बेमोसम बारिश हो रही है जिसके चलते किसानों की गेहूं, सरसों एंव अन्य फसलो को भरी नुकसान हो रहा है। सरकार इस सदन को बताए कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के पास क्या योजना है। सदन में इस अति आवश्यक महत्वपूर्ण मामले में चर्चा की जाए।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 77

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 77 के द्वारा, श्री राव दान सिंह, विधायक प्रदेश में भारी ओला वृष्टि और बरसात के कारण दक्षिणी हरियाणा में किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि दिनांक 19.03.2023 को प्रदेश में भारी ओलावृष्टि, बरसात और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है और वहां पर किसानों की गेहूं, चना और सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। सरसों की कटी हुई फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जिसके कारण वहा का किसान पूरी से हताश और निराश हो चुका है। इस अगर सरकार द्वारा उनको मदद नही दी गई तो किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जायेगा। माननीय सदस्य अनुरोध है कि सरकार वहा पर तुरंत गिरदावरी करवाकर वहां के किसानों को उचित मुआवजा दिया जाये। अतः माननीय सदस्य सरकार से मांग करते है कि इस विषय पर सरकार सदन मे अपना वक्तव्य दे।

श्री दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमन्त्री, हरियाणा का वक्तव्य

श्रीमान जी, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है , सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति सदैव तत्पर है। जब भी किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा यथासमय मुआवजा दिया जाता है।

सरकार सूखे, धूल भरी आंधी , भूकंप, आग, शार्ट-सर्किट या बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आसमानी बिजली, बाढ, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, शीत लहर/पाला, लू तथा कीट हमलों से हुए फसल क्षति, पशुपालन नुकसान, मत्स्य नुकसान, हस्तशिल्प/हथकरघा नुकसान, आवास के लिए पीडितों को तत्काल राहत प्रदान करती है। आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत सम्पति के नुकसान के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन कोष से मुआवजा प्रदान किया जाता है।

बाढ़/जल भराव, आग, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए राज्य सरकार के मुआवजे के मानदण्ड भारत सरकार के मानदण्डों की तुलना मे अधिक है। 33 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर प्रति किसान अधिकतम 5 एकड सीमा के अधीन भारत सरकार द्वारा 17000/- रूपये प्रति हैक्टेयर (6883/- .रूपये प्रति एकड) मुआवजा प्रदान किया जा रहा है जबकि राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर 15000/- रूपये प्रति एकड, ≥50 प्रतिशत से <75 प्रतिशत नुकसान होने पर 12000/- रूपये प्रति एकड और ≥25 प्रतिशत से <50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 9000/- रूपये प्रति एकड मुआवजा प्रदान किया जाता है (प्रति हिस्सेदार को न्यूनतम 500 रूपये बोये गये क्षेत्र तथा अधिकतम 5 एकड प्रति किसान सीमा के अधीन सहायता प्रदान की जाती है)। 25 प्रतिशत से कम फसल नुकसान होने पर कोई राहत प्रदान नही की जाती है जबकि ≥25 प्रतिशत से <33 प्रतिशत के बीच फसलों मे हुए नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजा राशि राज्य सरकार के बजट से वहन की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.10.2014 से 28.02.2023 तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ, भारी वर्षा/जलभराव, आग, ओलावृष्टि, कीट हमले और शीत लहर/पाला से फसलों को हुए नुकसान के लिए मु0 3902.43 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है।

ओलावृष्टि/बेमोसम बारिश से गेहूं, जौं, चना और सरसों की फसल खराब होने बारे।

श्रीमान जी, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक **correction slip/ H.L.R.M/No.1430-ARS-2-2019/7813,** दिनांक **30.07.2019** अनुसार प्रदेश में दिनांक 01 फरवरी से 01 मार्च तक रबी फसलों की सामान्य गिरदावरी की जाती है। इस अवधि के दौरान यदि फसलों मे कोई खराबा पाया जाता है तो उसे सामान्य गिरदावरी में ही कवर कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के पत्र क्रमांक **59-ई0आर0-5-2023/686,** दिनांक **02.02.2023** द्वारा प्रदेश के सभी उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि राज्य मे शीत लहर/पाला तथा भारी वर्षा/ओलावृष्टि से रबी फसल , **2023** मे कोई नुकसान हुआ है तो उसे सामान्य गिरदावरी मे कवर करते हुए खराबा रिपोर्ट अपने सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्त के माध्यम से कथित प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार के नार्मज दिनांक **24.05.2022** व भारत सरकार के नार्मज दिनांक 10.10.2022 अनुसार सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करे। जिलों से मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से रबी फसल 2023 की खराबा रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है। जहां तक ओलावृष्टि/बेमोसम बारिश से रबी फसल 2023 में नुकसान होने का सम्बन्ध है बारे सरकार के पत्र क्रमांक ई0आर0-**5-2023/1670**, दिनांक **20.03.2023** द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों से हाल ही के दिनों में राज्य में हो रही वर्षा/ओलावृष्टि से रबी फसल **2023** में हुए नुकसान की प्रारम्भिक रिपोर्ट मांगी गई है। उपायुक्तों से रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत मामले में हिदायतों अनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।

STATEMENT OF SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

Sir,

Haryana being an agrarian State, the Government is conscious of its responsibility to safeguard the interest of farmers. Wherever the farmers suffer any loss due to damage to crops, it becomes the prime duty of the Governent to compensate them to the extent possible.

The Government provides immediate relief to the victims of drought, duststorm, earthquake, fire, fire caused due to short-circuit or electric sparking, lightning, flood, hailstorm, landslide, cloud burst, cold wave/frost, heat wave and pest attack in terms of gratuitous relief for crop damage, animal husbandry losses, fishery losses, handicrafts/ handloom losses, housing, loss of personal property in case of fire from the State Disaster Response Fund.

The State Government compensation norms as well as damaged percentage coverage for crop damage are higher compared to the Government of India norms in case of damage due to Floods/Standing water, Fire, Electric Sparking, Heavy Rains, Hailstorm, Pest Attack and Dust storm. Government of India is providing Rs. 17,000/- per hectare (Rs. 6883/- per acre) for 33% and above damage subject to a ceiling of 5 acre per farmer whereas the State Government is providing compensation of Rs. 15000/- per acre for ≥75% and above damage, Rs. 12000/- per acre for ≥50% to <75% damage and Rs. 9000/- per acre for ≥25% to <50% damage (subject to minimum assistance being not less than Rs. 500/- per shareholder and restricted to sown areas with a ceiling of 5 acre per farmer). No relief is provided for the crop damage of less than 25%. As such, the whole compensation for the damage to crops between ≥25% to <33% is met out from State Budget.

Compensation amounting to Rs. 3902.43 crores for crops damage due to various natural calamities such as drought, flood, heavy rain/water logging, fire, hailstrom, pest attack and cold wave/frost has been released by the State Government from 26.10.2014 to 28.02.2023.

Regarding damage to Wheat, Mustard, Barley and Gram crops due to Hailstorm/Unseasonal Rain

Sir, As per notification of Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department No. H.L.R.M/No. 1430-ARS-2-2019/7813, dated 30.07.2019, the Normal girdawari for Rabi Crops in the State are conducted from 1st February to 1st March. During this period, if any damage is found in the crops, it is covered in normal girdawari. Apart from this, vide letter No.59-ER-5-2023/686 dated 02.02.2023, all the Deputy Commissioners of the State have been requested to cover the crop damage in Rabi crops 2023 due to cold wave/frost and heavy rain/hailstorm in normal girdawari if found any and damage report may be forwarded to the Government through concerned Divisional Commissioner by mentioning the alleged natural calamity as per State Government norms dated 24.05.2022 and Government of India norms dated 10.10.2022. The damage report of Rabi crops, 2023 from the districts through Divisional Commissioners are still awaited. As far as damage to Rabi crops, 2023 due to hailstorm/unseasonal rains is concerned, vide government's letter no. ER-5-2023/1671 dated 20.03.2023, a preliminary report regarding damage has been sought from all Deputy Commissioners in the state. After receiving the report from the Deputy Commissioners, further necessary action will be taken in the matter as per Government instructions.